

प्रारूप-11

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

Name of the project :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्दी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

वनभूमि की मांग का औचित्य एवं विवरण

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्दी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा मोटर मार्ग का नव निर्माणमें इस क्षेत्र में रहने वाले को यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण शासनादेश संख्या 1873 / ।।।

(2) / 16-74 (प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 07 जून 2016द्वारा 4.650 कि.मी. लम्बाई हेतु रु 25.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग लालुरी कोटी मेहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक मोटर मार्ग कि० मी० 4.650 तक होता है। तथा मार्ग की कुल लम्बाई 8.00 किमी० है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतुमीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.175हे०, तथा 400.00 मीटर लम्बाई में नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल हे० 0.330 है, की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ-साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम क्षेत्रवासियों के लिये यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 4.560 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल 509 वृक्ष आ रहे हैं, जिसमें बॉज एवं बुरांश प्रजाति के 117 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है।

मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	ग्राम	कोड	आवादी
1	मंजखेत	0043731	155

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल - 3.175हे० (लम्बाई 4.250 मीटर)
2. नाप भूमि का क्षेत्रफल - 0.330हे० (लम्बाई 0.400 मीटर)

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा।